

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)**  
**अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/ 5004

जबलपुर, दिनांक- 25/05/2021

**//आदेश//**

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803/स्था/अराज/2018 भोपाल 20.09.2018 द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम-2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के निर्देशानुसार कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/अराज/2020/10306 जबलपुर दिनांक 29.12.2020 एवं विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/ अराज/2021/1699 जबलपुर, दिनांक 24/02/2021 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरांत निम्नलिखित मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स को नियुक्ति प्रदान करने के उपरांत प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को इस संस्था के रिक्त स्टाफ नर्स के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सातवें वेतनमान अनुसार लेवल-7 में 28700/- का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में प्रदान करते हुए स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलयन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की स्थापना में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

**(स्टाफ नर्स) अनारक्षित:-**

S.no	NAME	FATHER/HUSBAND NAME	DATE OF BIRTH
1.	VARSHA LILHARE	LALCHAND LILHARE	03-02-1987


**(स्टाफ नर्स) अन्य पिछड़ा वर्ग:-**

S.no	NAME	FATHER/HUSBAND NAME	DATE OF BIRTH
1.	NEELAM SINGH	RAHUL SINGH	01-01-1988
2.	KARUNA DEVI SINGH	MAHENDRA PRATAP SINGH	05-03-1982
3.	RUKMANI KEVAT	HIRADHAR KEVAT	02-07-1989
4.	NISHA SONI	ASHIWINI KUMAR SONI	16-09-1989
5.	RITIKA LIKHITKAR	SANDEEP KUMAR SALODE	08-08-1991

**नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।**

1. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
2. आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से है
3. नियुक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 13/06/2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। नियत तिथि तक उपस्थित न होने के पश्चात कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दिनांक 26/01/2001 के पश्चात उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं।

5. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. इस नियुक्ति में SC/ST/OBC के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है।
8. इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
9. मादक एवं पेय उत्तेजक पदार्थ का सेवन न कर सकेंगे। यदि इस प्रकार सेवन करते हुए पाये गये तो म.प्र. सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत कर दिया जावेगा।
10. नियुक्त कर्मचारी को एक माह के भीतर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जावेगा। पुलिस सत्यापन में या किसी अन्य प्रकार की जांच में दोषी पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी।
11. बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीति अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग पूर्णतः वर्जित होगा।
13. म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3597/2009/दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औपचारिक/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
14. नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस.की नियमानुसार पात्रता होगी।
15. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
16. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर  
 (फोन न. 0761-2370951)  
 जबलपुर, दिनांक- /05/2021

पृ.क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
2. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-जबलपुर की ओर।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
7. कु./श्रीमति.....

..... की ओर।

11  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर  
 (फोन न. 0761-2370951)